N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0124 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 26/06/2024 20:06 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 21/06/2024 **Date To (दिनांक तक):** 25/06/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:15 बजे **Time To (समय तक):** 15:04 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 26/06/2024 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 26/06/2024 20:06:13 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 1 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** UP PANJIYAK OFFICE NAGAUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Mohmmad Aarif

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Mohmmad Zarif

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2004 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	212, Dara Mohalla, NAGAUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	212, Dara Mohalla, NAGAUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Kailash Chand Sen		पिता:Ramniwas	1. Gagwana,NAGAUR,RAJASTHA
2	Sitaram		पिता:Rugharam	1. Gagwana,ROL,NAGAUR,RAJAS

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, If necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,नागौर विषय- उप पंजीयक कार्यालय के लिपिक कैलाशचन्द्र सैन को रिश्वत लेते हुवे रंगे हाथ पकड़वाने बाबत्। महोदया, निवेदन इस प्रकार है कि मैं श्री मोहम्मद आरिफ पुत्र श्री मोहम्मद जरीफ, जाति मुस्लिम, उम्र 20 वर्ष, निवासी मकान नम्बर 212, दड़ा मोहल्ला, तहसील व जिला नागौर का रहने वाला हूं। मेरे दादीजी के नाम की वर्ष 1979 की रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति की नकल लेने हेतु उप पंजीयक कार्यालय के लिपिक श्री कैलाशचन्द्र सैन से मिला तो नकल के 500/-रूपये रिश्वत के मांगे, जिस पर मैने कहा कि मेरे पिताजी के नाम से रजिस्ट्रर्ड मकान की रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति की नकल भी निकलवाने के लिए कहा तो कहा कि 1000/- रूपये और लगेंगे, चालान कटवाकर आवेदन कर देना। मैं मेरे वाजिब काम के बदले रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मैं कैलाशचन्द्र सैन, लिपिक को रंगे हाथो रिश्वत राशि लेते हुए पकड़वाना चाहता हूं। मेरे व कैलाशचन्द्र सैन के बीच कोई उधारी का लेन-देन नहीं है तथा न ही कोई आपसी रंजिश है। कानूनी कार्यवाही फरमावें। दिनांक - 21.06.2024 प्रार्थी -एसडी- मोहम्मद आरिफ पुत्र श्री मोहम्मद जरीफ, निवासी मकान नम्बर 212, दड़ा मोहल्ला, तहसील व जिला नागौर मोबाईल नम्बर -

कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर निवेदन है कि दिनांक 21.06.2024 वक्त 01.15 पी.एम. परिवादी श्री मोहम्मद आरिफ पुत्र श्री मोहम्मद जरीफ, जाति मुस्लिम, उम्र 20 वर्ष, निवासी मकान नम्बर 212, दड़ा मोहल्ला, पुलिस थाना कोतवाली, तहसील व जिला नागौर उपस्थित कार्यालय आया व एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इस आशय का प्रस्तुत किया कि मैं श्री मोहम्मद आरिफ पुत्र श्री मोहम्मद जरीफ, जाति मुस्लिम, उम्र 20 वर्ष, निवासी मकान नम्बर 212, दड़ा मोहल्ला, तहसील व जिला नागौर का रहने वाला हूं। मेरे दादीजी के नाम की वर्ष 1979 की रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति की नकल लेने हेतु उप पंजीयक कार्यालय के लिपिक श्री कैलाशचन्द्र सैन से मिला तो नकल के 500/-रूपये रिश्वत के मांगे, जिस पर मैने कहा कि मेरे पिताजी के नाम से रजिस्ट्रर्ड मकान की रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति की नकल भी निकलवाने के लिए कहा तो कहा कि 1000/- रूपये और लगेंगे, चालान कटवाकर आवेदन कर देना। मैं मेरे वाजिब काम के बदले रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मैं कैलाशचन्द्र सैन, लिपिक को रंगे हाथो रिश्वत राशि लेते हुए पकड़वाना चाहता हूं। मेरे व कैलाशचन्द्र सैन के बीच कोई उधारी का लेन-देन नहीं है तथा न ही कोई आपसी रंजिश है। परिवादी की उक्त रिपोर्ट का अवलोकन कर उससे मजीद पूछताछ की गई तो परिवादी ने अवगत करवाया कि मैने दिनांक 05.06.2024 को कार्यालय उप पंजीयक नागौर में मेरे दादीजी के नाम रजिस्टर्ड मकान की रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति की नकल हेतु मय चालान आवेदन किया था, जिसके क्रम में मैं कैलाशचन्द लिपिक से आज दिनांक 21.06.2024 को मेरी दादीजी के नाम रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति की नकल हेतु मिला तो मेरे से 500/-रूपये रिश्वत की मांग की, मेरे पिताजी के नाम रजिस्टर्ड मकान की रजिस्ट्री की भी मुझे प्रमाणित प्रति की नकल हेतु आवेदन करना है, परन्तु उक्त श्री कैलाश चन्द लिपिक द्वारा प्रति रजिस्ट्री 500/- रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है, मेरी कैलाशचन्द से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है तथा न ही कोई उधारी का लेन-देन बकाया है। परिवादी की उक्त लिखित रिपोर्ट तथा मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत की मांग का पाया जानें पर रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से कार्यालय का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय नया मैमोरी कार्ड कार्यालय आलमारी में से निकाल कर परिवादी श्री मोहम्मद आरिफ को उसे ऑपरेट करनें की समझाईस की गई तथा उसे समझाया की वह श्री कैलाशचन्द लिपिक कार्यालय उप पंजीयक, नागौर के पास जाकर अपने कार्य के संबंध में व लेन देन के सम्बन्ध में वार्ता करें तथा कार्यालय के श्री प्रेमाराम कानिस्टेबल नम्बर 218 को तलब कर परिवादी से परिचय करवाते हुए रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के साथ जानें की हिदायत कर वक्त 01.25 पी.एम. पर श्री प्रेमाराम कानिस्टेबल नम्बर 218 एवं परिवादी श्री मोहम्मद आरिफ को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड देकर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कार्यालय उप पंजीयक, नागौर के लिए रवाना किया जाकर हिदायत मुनासिब की गई। वक्त 02.00 पी.एम. पर श्री प्रेमाराम कानिस्टेबल नम्बर 218, परिवादी श्री मोहम्मद आरिफ के साथ उपस्थित कार्यालय आया तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया। परिवादी श्री मोहम्मद आरिफ ने बताया कि एसीबी कार्यालय नागौर से हम प्रेमारामजी की मोटरसाईकल से रवाना होकर कार्यालय उप पंजीयक नागौर पहूंचे, जहां पर कार्यालय के सामने कानि. प्रेमाराम ने टेप रिकॉर्डर चालू कर मुझे दिया जिस पर मैं श्री कैलाशचन्द लिपिक से मिलने कार्यालय उप पंजीयक, नागौर के अन्दर स्थित उनके कक्ष में गया, जहां मुझे श्री कैलाशचन्द लिपिक मिला, जिससे मैंने मेरे

मेरी दादीजी के नाम रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति की नकल लेनी चाही, परन्तु कैलाशचन्द लिपिक ने बात शुरू करते ही कहा कि पैसे लाया, मैंने कहा कि मेरे पास एटीएम नहीं है, तो मुझे वहां से भाग जाने हेतु कहा, मेरे साथ सही तरीके से वार्ता नहीं की। मैने कुछ देर इंतजार किया परन्तु कैलाशचन्द की तरफ से कोई वार्ता नहीं की गई, जिस पर मैं वहां से रवाना आपके कानि. श्री प्रेमाराम को टेप रिकॉर्डर बन्द करके दे दिया। इसके बाद हम दोनो वहां से रवाना हो उपस्थित आये है। श्री प्रेमाराम कानि. ने परिवादी के उक्त कथनों की ताईद की। जिस पर डिजीटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो परिवादी व आरोपी के मध्य वार्ता में आरोपी द्वारा पैसे की मांग से सम्बन्धित वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया, परन्तु परिवादी के कार्य इत्यादि के सम्बन्ध में कोई वार्ता रिकॉर्ड नहीं पाई गई। डिजीटल टेप रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखा गया। परिवादी श्री मोहम्मद आरिफ ने बताया कि मुझे मेरे पिताजी के नाम रजिस्टर्ड मकान की रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति की नकल लेनी है, परन्तु श्री कैलाशचन्द लिपिक को मेरे दादीजी के नाम रजिस्टर्ड मकान की रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति की नकल के जब तक 500/-रूपये रिश्वत नहीं दूंगा, वो मुझे नकल नहीं देगा एवं मेरे से कोई वार्ता नहीं करेगा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री मोहम्मद आरिफ को पूर्व में आवेदनशुदा नकल हेतु 500/-रूपये की व्यवस्था बाबत् कहा गया तो बताया कि आज तो मेरे पास एटीएम नहीं है, मैं सोमवार को आरोपी को दिये जाने हेतु 500/-रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था कर आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूख्सत किया गया। दिनांक 25.06.2024 को वक्त 11.30 ए.एम. पर परिवादी श्री मोहम्मद आरिफ कार्यालय उपस्थित आया तथा अवगत कराया कि कल मेरे घरेलू कार्य होने से आपके कार्यालय में नहीं आ सका। आज मैं, श्री कैलाशचन्द लिपिक को मेरे दादीजी के नाम रजिस्टर्ड मकान की रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति की नकल हेतु 500/-रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था करके लाया हूं तथा आज इस रिश्वत राशि के साथ ही मैं मेरे पिताजी के नाम रजिस्टर्ड मकान की रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति की नकल हेतु कैलाशचन्द लिपिक से रिश्वत राशि मांग के सम्बन्ध में वार्ता हो सकती है तथा वार्ता होने के पश्चात शायद कैलाशचन्द मेरे से आज ही रिश्वत राशि की मांग कर सकता है, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर परिवादी श्री मोहम्मद आरिफ ने अपनी जेब से भारतीय चलन मुद्रा पांच सौ रूपये का 01 नोट कुल 500/- रूपये निकाल कर पेश किए, जिस पर नोट के नम्बर 8 BB 775949 फर्द में अंकित किये जाकर परिवादी श्री मोहम्मद आरिफ को वास्ते रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा पूर्व में तैयारशुदा नकल की प्रति प्राप्ति हेतु आरोपी द्वारा रिश्वत मांगने पर देने की हिदायत कर श्री प्रेमाराम कानि. 218 को तलब कर लेप-टॉप पर फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट मुर्तिब की जाकर प्रिन्ट आउट पर हस्ताक्षर करवाये गये एवं उक्त नोट परिवादी को प्रेमाराम कानि. के समक्ष सुपूर्द किया जाकर परिवादी श्री मोहम्मद आरिफ व श्री प्रेमाराम कानि. को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कार्यालय उप पंजीयक नागौर के लिए रवाना किया गया। वक्त 12.50 पी.एम. पर श्री प्रेमाराम कानि. 218, परिवादी श्री मोहम्मद आरिफ के साथ कार्यालय उपस्थित आया तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया। परिवादी श्री मोहम्मद आरिफ ने बताया कि एसीबी कार्यालय नागौर से हम प्रेमाराम जी की मोटरसाईकल से रवाना होकर कार्यालय उप पंजीयक नागौर पहूंचे, जहां पर कार्यालय के सामने कानि. प्रेमाराम ने टेप रिकॉर्डर चालू कर मुझे दिया, जिस पर मैं श्री कैलाशचन्द लिपिक से मिलने कार्यालय उप पंजीयक, नागौर के अन्दर उनके कक्ष में गया तथा मेरे कार्य के सम्बन्ध में वार्ता की तो श्री कैलाशचन्द ने नए आवेदन हेतु चालान कटवाने बाबत् कहा, जिस पर मैने ई-मित्र पर चालान कटवाकर उनके कार्यालय में पुनः जाकर वार्ता की तो श्री कैलाशचन्द ने पूर्व की मेरे दादीजी के नाम रजिस्टर्ड मकान रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति की नकल के 500/-रूपये रिश्वत राशि की मांग की, जिस पर मैने 500/- रूपये रिश्वत राशि कैलाशचन्द को दी तो उसने पहनी हुई पेन्ट की जेब में रखकर कहा कि इसी हिसाब से इन नए आवेदन की नकल के दे देना, जिस पर मेरे द्वारा पुछा गया तो उन्होनो मेरे पिताजी के नाम रजिस्टर्ड मकान की रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति की नकल हेतु 1000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग की है तथा आज ही देने हेतु कहा है, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो रिकॉर्ड वार्ता से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया गया। जिस पर परिवादी को 1,000/- रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था करने की हिदायत की गई तो परिवादी ने बताया कि पैसे मेरे पास उपलब्ध है। जिस पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही शुरू की जाकर श्री कुमेरदान कानि0 नं0 194 को दो स्वतन्त्र गवाहो की तलबी हेतु सहायक अभियन्ता (शहर) ए.वी.वी.एन.एल. नागौर के नाम की तहरिर देकर कार्यालय सहायक अभियन्ता (शहर) ए.वी.वी.एन.एल. नागौर को रवाना किया गया। कुछ समय पश्चात श्री कुमेरदान कानि0 नं0 194 मय दो स्वतन्त्र गवाहान श्री दीपेन्द्रसिंह राठौड़ पुत्र श्री विजयसिंह राठौड़, जाति राजपुत, उम्र 38 वर्ष, निवासी मुकाम पोस्ट मोरेड़, पुलिस थाना परबतसर, तहसील मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन हाल वाणिज्यक सहायक-2 , कार्यालय सहायक अभियंता (प.व.स.), नागौर एवं श्री नारायणराम पुत्र श्री रामप्रसाद, जाति नाई, उम्र 47 वर्ष, निवासी बोड़वा, पुलिस थाना कुचेरा, तहसील जायल, जिला नागौर हाल तकनीकी सहायक-प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता(प.व.स.), नागौर के उपस्थित कार्यालय आये। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान से परिचय किया जाकर परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट गवाहान श्री दीपेन्द्रसिंह राठौड़ वाणिज्यक सहायक-2, व श्री नारायणराम, तकनीकी सहायक-प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता(प.व.स.), नागौर को

पढकर सुनाई गई तथा रिश्वत मांग सत्यापन की दर्ज वार्ता को वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर मुख्य-मुख्य अंश सुनाये गये। जिस पर उन्होंने सन्तुष्ट होकर स्वतन्त्र गवाह बनने की सहमति प्रदान की। जिस पर स्वतंत्र गवाहान के परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर हस्ताक्षर करवाये गये। ताबाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री मोहम्मद आरिफ को रिश्वत में दी जानें वाली राशि पेश करने का कहने पर उसने अपने पास से 500-500 रूपये के 02 नोट कुल 1,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अपनी जेब में से निकाल कर पेश किये। जिनका विवरण इस प्रकार है - 1. पांच सौ रूपये का एक नोट 5DK 758619, 2. पांच सौ रूपये का एक नोट 0DD 509647, जिस पर श्री बालाराम कानि0 नं0 554 से कार्यालय की अलमारी में से फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाया जाकर कार्यालय कक्ष में स्थित टेबल के उपर अखबार पर रखकर उपरोक्त सभी नोटों के दोनों ओर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री मोहम्मद आरिफ की जामा तलाशी गवाह श्री दीपेन्द्र सिंह राठौड़ से लिवाई गई तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोटों को श्री बालाराम कानि0 से परिवादी के पहने हुए शर्ट के सामने की जेब में कुछ भी शेष नहीं छोड़ते हुए रखवाये गये। परिवादी श्री मोहम्मद आरिफ को बताया गया कि इन नोटों को तब तक नहीं छुए जब तक आरोपी रिश्वत की मांग नही करें तथा उसके द्वारा रिश्वत मांगने पर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोट अपनी जेब से निकाल कर उसे देवे तथा अपने कार्य से सम्बन्धित वार्ता करें। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने पर ट्रेप दल के सदस्यों को देखते हुए अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करे तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मिस कॉल भी करें। दोनों गवाहों व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया का महत्व दृष्टान्त देकर समझाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा पुनः श्री बालाराम कानि0 से कार्यालय की अलमारी में रखवाकर गिलास के मिश्रण को बाहर फिंकवाया गया तथा अखबार जिस पर रखकर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया है व डिस्पोजल गिलास को जलवाया जाकर श्री बालाराम कानि0 के हाथों को साबुन व पानी से साफ धुलवाये गये। परिवादी श्री मोहम्मद आरिफ को वक्त रिश्वत लेन-देन होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को ऑपरेट करने की विधि समझाकर सुपुर्द किया गया। पृथक से फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की फर्द तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की जाकर श्री बालाराम कानि. नम्बर 554 को कार्यालय में ही रहने की हिदायत दी गई। वक्त 02.40 पी.एम. पर परिवादी श्री मोहम्मद आरिफ मय ट्रेप दल के सदस्य श्री प्रेमाराम कानि0 218 को आवश्यक हिदायत कर जरिये मोटरसाईकल से वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय उप पंजीयक, नागौर को रवाना कर पिछे-पिछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कल्पना सोलंकी मय स्वतंत्र गवाहान श्री दीपेन्द्रसिंह राठौड़ वाणिज्यक सहायक-2, व श्री नारायणराम, तकनीकी सहायक-प्रथम, मय ट्रेप दल के सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह, सहायक उप निरीक्षक, श्री कानाराम कानि0 532, श्री नेमीचन्द कानि. जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री सुरेन्द्र सिंह नं0 355 मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय उप पंजीयक, नागौर को ए.सी.बी. कार्यालय नागौर से रवाना होकर कार्यालय उप पंजीयक, नागौर के समीप पहूंचे, जहां सड़क पर एक साईड में सरकारी गाड़ी व मोटरसाईकल को खड़ा कर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर आरोपी से सम्पर्क करने हेतु डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू कर कार्यालय उप पंजीयक, नागौर के अन्दर की तरफ रवाना कर श्री प्रेमाराम कानि0 को परिवादी के पिछे-पिछे रवाना किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान ट्रेप दल के सदस्य अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए कार्यालय उप पंजीयक, नागौर के आस पास खड़े होकर परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। वक्त 03.04 पी.एम. पर परिवादी श्री मोहम्मद आरिफ ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर रिश्वत स्वीकृति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप दल के सदस्यों को साथ लेकर परिवादी के पास कार्यालय उप पंजीयक, नागौर के मुख्य द्वार के पास पहूंची एवं परिवादी से वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ किया, इस पर परिवादी श्री मोहम्मद आरिफ नें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं श्री कैलाशचन्द लिपिक से उनके कार्यालय में मिला और मेरे काम के सम्बन्ध में बातचीत की तो श्री कैलाशचन्द लिपिक द्वारा मेरे कार्य से संबंधित वार्ता की तथा हाथ से ईशारा कर रिश्वत राशि मांगने पर मेरे द्वारा रिश्वत राशि 1000/- रूपये जेब में से निकालकर कैलाशचन्द लिपिक को दी। जिस पर कैलाशचन्द लिपिक द्वारा रिश्वत राशि दोनो हाथों से गिनकर अपने पहने हुए शर्ट की उपर की बांयी जेब में रख ली। उसके बाद मैंने आपको मोबाईल पर मिस कॉल करके रिश्वत लेने का ईशारा कर दिया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी को साथ लेकर मय हमराहियान के उप पंजीयक कार्यालय के अन्दर प्रवेश किया, जिस पर परिवादी ने सामने के कमरे में बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि साहब यही कैलाशचन्द सैन है तथा इसने अभी-अभी मेरे से रिश्वत राशि 1000/-रूपये प्राप्त कर अपने पहने शर्ट की जेब में रखी है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी व हमराहियान के कमरे के अन्दर प्रवेश कर सामने बैठे व्यक्ति को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए, उक्त व्यक्ति का परिचय पूछा तो घबराते हुए नीचे की तरफ देखने लगा, मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा तसल्लीपूर्वक पूछने पर उसने अपना नाम श्री कैलाश चन्द सैन पुत्र स्व. श्री रामनिवास, जाति नाई, उम्र 38 वर्ष, निवासी गगवाना, पुलिस थाना रोल, तहसील व जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक, उप पंजीयक कार्यालय नागौर होना बताया तथा पास में खड़े व्यक्ति का परिचय पूछने पर उसने अपना नाम श्री सीताराम पुत्र श्री रूघाराम, जाति जाट, उम्र 42

वर्ष, निवासी गगवाना, तहसील व जिला नागौर हाल व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, साडोकन होना बताया । जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी कैलाशचन्द्र सैन, कनिष्ठ लिपिक को परिवादी श्री मोहम्मद आरिफ से रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में पूछा गया तो आरोपी कैलाशचन्द ने बताया कि मैने श्री मोहम्मद आरिफ से कोई रिश्वत राशि नहीं ली है, मोहम्मद आरिफ ने मेरे पास दिनांक 05.06.2024 को एक रजिस्ट्री की नकल हेतु आवेदन किया था, जो आज दिनांक को मैने इसको नकल की प्रति दे दी थी तथा अन्य दो नकल प्रति लेने के लिए आवेदन किया था, आवेदन व चालान की प्रति मेरी टेबल की दराज में ही है, जिस पर गवाह श्री नारायण राम से दराज की तलाशी लिरवाई गई तो उसमें परिवादी से सम्बन्धित दस्तावेजात मिले, जिस पर उक्त दस्तावेज का अवलोकन किया गया तो 1- परिशिष्ट 3 फार्म संख्या 12 नियम 134 प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र दिनांक 26.06.2024 प्रार्थी का नाम मोहम्मद जरीफ, पिता का नाम मोहम्मद रहीम के संलग्न ई-चालान जी.आर.एन. नम्बर 0091054293 दिनांक 25.06.2024, 2- परिशिष्ट 3 फार्म संख्या 12 नियम 134 प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र दिनांक 26.06.2024 प्रार्थी का नाम मोहम्मद जरीफ, पिता का नाम मोहम्मद युनुस के संलग्न ई-चालान जी.आर.एन. नम्बर 0091053193 दिनांक 25.06.2024 एवं 3- परिशिष्ट 3 फार्म संख्या 12 नियम 134 प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र दिनांक 26.06.2024 प्रार्थी का नाम मोहम्मद जरीफ, पिता का नाम मोहम्मद युनुस के संलग्न ई-चालान जी.आर.एन. नम्बर 009252888 दिनांक 05.06.2024 को गवाहान के समक्ष लिया जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा गवाह श्री नारायणराम सैन को निर्देशित कर आरोपी कैलाश चन्द सैन की जामा तलाशी लिवाई गई तो आरोपी कैलाश चन्द सैन की पहनी हुई पेन्ट की पीछे की जेब से एक 500/-रूपये का पुराना नोट मिला, जिसको गवाह श्री दीपेन्द्रसिंह से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से मिलान करवाया गया तो हुबहु वो ही नोट नम्बर 8 BB 775949 पाया गया, जो कब्जा एसीबी लिया जाकर गवाह श्री नारायणराम सैन के पास सुरक्षित रखा गया। जिस पर परिवादी श्री मोहम्मद आरिफ ने स्वतः ही खण्डन करते हुए बताया कि मैंने दिनांक 05.06.2024 को मेरी दादीजी के नाम रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति की नकल हेतु आवेदन किया था, जिसके क्रम में मैं कैलाशचन्द लिपिक से दिनांक 21.06.2024 को मेरी दादीजी के नाम रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति की नकल निकलवाने के लिए मिला तो मेरे से 500/-रूपये की मांग की। आज दिनांक 25.06.2024 को मैं पुनः कैलाशचन्द लिपिक से इनके कार्यालय में मिला तो मैने मेरे पिताजी के मकान की भी रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति की नकल बाबत् कहा तो पूर्व में मेरे दादीजी के नाम रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति की नकल के 500/-रूपये मेरे से मांगने पर मेरे द्वारा 500/-रूपये रिश्वत देने पर मुझे रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति देते हुए कहा कि पिताजी के मकान की रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति की नकल हेतु आज ही 1000/-रूपये रिश्वत राशि देने के लिए कहा जो मैने अभी-अभी 1000/-रूपये रिश्वत राशि कैलाशचन्द लिपिक को दी है, जो इनके द्वारा गिनकर स्वयं के पहने हुए शर्ट की उपर की बांयी जेब में रख लिये थे तथा इसके बाद मैंने बाहर आकर आपके मोबाईल पर मिस कॉल कर आपको रिश्वत प्राप्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया था। आरोपी कैलाशचन्द की जामा तलाशी में वक्त रिश्वत लेन-देन परिवादी द्वारा दी गई 1000/-रूपये रिश्वत राशि बरामद नहीं होने से पास में खड़े व्यक्ति को रिश्वत राशि के बारे में पुछा तो घबरा गया तथा बताया कि कैलाशचन्द सैन लिपिक ने रिश्वत राशि एक लड़के को दे दी तथा वो लेकर बाहर चला गया है, मैं तो मेरे निजी काम से इस कार्यालय में आया हूं, मैं व कैलाशचन्द जी एक ही गांव के है तथा आपस में परिचित है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को संदेह होने पर गवाह श्री नारायणराम को निर्देशित कर उक्त व्यक्ति सीताराम की जामा तलाशी लिवाई गई तो सीताराम की पहनी हुई जिंस पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब में से 500-500 रूपये के दो नोट मिले, जिनको पूर्व में बनी फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट से मिलान करवाया गया तो हुबहू वही नोट होना पाये गये। जिनको गवाह श्री नारायणराम के पास सुरक्षित रखा गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त रिश्वत राशि के बारे में सीताराम से पुछा गया तो घबराकर बोला कि मैडम मैं कैलाशचन्द के पास खड़ा था उस दौरान इसने उक्त रिश्वत राशि आपको आते हुए देखकर मेरी पीछे की जेब में डाल दी थी। रिश्वत लेने की ताईद होने पर श्री कैलाशचन्द लिपिक का दायां व बायां हाथ कलाई के उपर से मेरे निर्देश से क्रमशः कानि0 श्री नेमीचन्द व श्री कानाराम से पकड़वाये गये। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स में से दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाकर दोनों गिलासों में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का प्रक्रियानुसार घोल तैयार किया गया। एक गिलास के उक्त रंगहीन घोल में आरोपी श्री कैलाशचन्द के दाहिनें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को शिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः RH-1 व RH-2 अंकित किया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी कैलाशचन्द के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को शिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः LH-1 व LH-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। (नोट - कार्यालय उप पंजीयक नागौर पर आमजनो की आवाजाही अधिक होने एवं मौके पर भीड़भाड़ ज्यादा होने से आरोपीगणों को सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही हेतु मय ट्रेप दल मय आरोपी के एसीबी चौकी नागौर लेकर पहुंची। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही चौकी कार्यालय में शुरू की गई।) ब्यूरो कार्यालय पहूंच एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का प्रक्रियानुसार घोल तैयार किया गया। गिलास के उक्त रंगहीन घोल में आरोपी कैलाशचन्द के पहनने हेतु दुसरी

शर्ट की व्यवस्था कर पहने हुए शर्ट को सम्मान पूर्वक उतरवाकर शर्ट की सामने की बांयी जेब को उलटकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः S-1 व S-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा शर्ट को सुखाया जाकर, जेब पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर, सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील चिट कर मार्क S अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। रिश्वती राशि आरोपी सीताराम के पहनी हुई जिन्स पेंट की पीछे की दाहिनी जेब से बरामद हुई है, जिसका धोवन लिया जाना आवश्यक होने से एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का प्रक्रियानुसार घोल तैयार किया गया। गिलास के उक्त रंगहीन घोल में आरोपी सीताराम के पहनने हेतु दुसरी जिन्स पेंट की व्यवस्था कर पहनी हुई जिन्स पेंट को सम्मान पूर्वक उतरवाकर जिन्स पेंट की पीछे की दाहिनी जेब को उलटकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः P-1 व P-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा जिंस पेन्ट को सुखाया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील चिट कर मार्क P अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् गवाह श्री नारायण राम के पास सुरक्षित रखवाये गये नोटों को गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के 03 नोट कुल 1500/- रूपये होना बताया तथा दोनो गवाहों से रिश्वती राशि 1500/- रूपये के नोटों के नम्बरों का मिलान वक्त रिश्वत मांग सत्यापन से पूर्व मुर्तिब फर्द नोट सुपूर्दगी एवं वक्त रिश्वत लेन-देन से पूर्व मुर्तिब फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट से करवाया गया तो वही नोट हुबहू होना पाये गये। उपरोक्त सभी नोटो (1,500/-रूपये) में से वक्त रिश्वत मांग सत्यापन आरोपी द्वारा प्राप्त 500/-रूपये का एक नोट एवं वक्त रिश्वत लेन-देन आरोपी द्वारा प्राप्त 1000/-रूपये के दो नोट पृथक-पृथक कागज की चिट में सिल्ड चिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर रिश्वती राशि को कब्जा एसीबी ली गई। ताबाद आरोपी श्री कैलाश चन्द सैन, कनिष्ठ लिपिक से परिवादी श्री मोहम्मद आरिफ के पिताजी के मकान की भी रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति की नकल से सम्बन्धित कागजात के बारे में पूछा गया तो आरोपी श्री कैलाश चन्द सैन ने बताया कि श्री मोहम्मद आरिफ के पिताजी के मकान की भी रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति की नकल अभी तक तैयार ही नहीं की गई है, मोहम्मद आरिफ द्वारा आज ही आवेदन किया गया था, रिकॉर्ड से नकल प्रति तैयार की जानी शेष है। परिवादी को पूर्व में दिये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में वक्त रिश्वत लेन देन की रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो रिश्वती लेन देन की पुष्टि होना पाया गया। जिसकी फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की जायेगी । इस प्रकार आरोपी श्री कैलाश चन्द सैन, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप पंजीयक, नागौर द्वारा परिवादी श्री मोहम्मद आरिफ को उसके दादीजी के नाम मकान की रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति की नकल एवं पिताजी के नाम मकान की रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति की नकल देने की एवज में आरोपी श्री कैलाश चन्द सैन, कनिष्ठ सहायक द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर अपने वैध पारिश्रमिक से भिन्न आज दिनांक 25.06.2024 को 1500/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर वक्त सत्यापन 500/-रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना एवं मांग के अनुसरण में वक्त रिश्वत लेन-देन रिश्वत राशि 1,000/- रूपये प्राप्त करने पर कैलाश चन्द सैन की जामा तलाशी में पहनी पेन्ट की पीछे की जेब से 500/-रूपये वक्त मांग सत्यापन प्राप्त रिश्वत राशि एवं सह-आरोपी श्री सीताराम के पहनी जिंस पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब 1000/-रूपये वक्त रिश्वत लेन-देन प्राप्त रिश्वत राशि बरामद होने पर आरोपीगण श्री कैलाश चन्द्र सैन पुत्र स्व. श्री रामनिवास, जाति नाई, उम्र 38 वर्ष, निवासी गगवाना, पुलिस थाना रोल, तहसील व जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक, उप पंजीयक कार्यालय नागौर एवं श्री सीताराम पुत्र श्री रूघाराम, जाति जाट, उम्र 42 वर्ष, निवासी गगवाना, तहसील व जिला नागौर(दलाल) हाल व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, साडोकन का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भा.दं.सं. का जुर्म प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाने से आरोपीगण श्री कैलाश चन्द सैन, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप पंजीयक, नागौर व श्री सीताराम (दलाल) को को उपरोक्त जुर्म से आगाह कर अपने संवैधानिक अधिकारो से अवगत करवाते हुए वक्त क्रमशः 06.00 पी.एम. व 06.15 पी.एम. पर जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी की निशांदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका निरीक्षण घटनास्थल मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में दर्ज दिनांक 21.06.2024 व दिनांक 25.06.2024 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई काम से संबंधित वार्ता व रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुनकर कम्प्यूटर से शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर मैमोरी कार्ड में दर्ज रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं के दो पैन ड्राईव व एक डीवीडी पृथक-पृथक बनवाये गये। ताबाद डिजिटल टेप रिकॉर्डर से मूल मैमोरी कार्ड निकालकर कपड़े की थैली में डालकर शील्ड कर एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, वार्ताओं के दोनों पैन ड्राईव अलग-अलग कपड़े की थैली में डालकर पृथक-पृथक शील्ड कर न्यायालय व आरोपी हेतु तथा एक डीवीडी कागज के लिफाफे में डालकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर आईओ डीवीडी, पैन ड्राईव व सील्ड सुदा मैमोरी कार्ड गोपनीयता की दृष्टि से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे जाकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में दर्ज परिवादी व आरोपी के मध्य दिनंाक 25.06.2024 को वक्त रिश्वत लेन-देन हुई वार्ता को सुनकर

कम्प्यूटर से शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर मैमोरी कार्ड में दर्ज वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता के तीन पैन ड्राईव व एक डीवीडी पृथक-पृथक बनवाये गये। ताबाद डिजिटल टेप रिकॉर्डर से मूल मैमोरी कार्ड निकालकर कपड़े की थैली में डालकर शील्ड कर एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, वार्ता के तीनों पैन ड्राईव अलग-अलग कपड़े की थैली में डालकर पृथक-पृथक शील्ड कर न्यायालय व दोनों आरोपीगणों हेतु तथा एक डीवीडी कागज के लिफाफे में डालकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर आईओ डीवीडी, पैन ड्राईव व सील्ड सुदा मैमोरी कार्ड गोपनीयता की दृष्टि से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे गये। कार्यवाही में अब तक तैयार की गई समस्त फ़र्दात एवं जब्तशुदा आर्टीकल्स पर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर की जिस पीतल की मोहर का प्रयोग किया गया, उक्त सील की फर्द नमूना सील मुर्तिब की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। ताबाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही में बरामद रिश्वत राशि 1500/- रुपये, शील्ड शुदा धोवन की शिशियां मार्क RH-1, RH-2, LH-1, LH-2, P-1, P-2, तथा S-1, S-2 एवं सील्डशुदा पैकेट मार्क P तथा S रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता के दो अलग-अलग मूल मैमोरी कार्ड एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, न्यायालय व आरोपी श्री कैलाशचन्द हेतु रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दो पृथक-पृथक सील्ड सुदा पैन ड्राईव व वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता के तीन पृथक-पृथक सील्ड सुदा पैन ड्राईव न्यायालय व दोनों आरोपीगणों हेतु मालखाना प्रभारी श्री मोहनराम हैड कानि0 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। परिवादी श्री मोहम्मद आरिफ तथा स्वतंत्र गवाहान गवाहान श्री दीपेन्द्रसिंह राठौड़ वाणिज्यक सहायक-2, व श्री नारायणराम, तकनीकी सहायक-प्रथम, को बाद ट्रेप कार्यवाही आवश्यक हिदायत कर रुखसत किया गया। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही का समय-समय पर रनिंग नोट पृथक से तैयार किया गया। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री कैलाश चन्द सैन, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप पंजीयक, नागौर द्वारा परिवादी श्री मोहम्मद आरिफ के दादीजी के नाम मकान की रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति की नकल एवं पिताजी के नाम मकान की रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति की नकल देने की एवज में आरोपी श्री कैलाश चन्द सैन, कनिष्ठ सहायक द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर अपने वैध पारिश्रमिक से भिन्न आज दिनांक 25.06.2024 को 1500/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर वक्त सत्यापन 500/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना एवं मांग के अनुसरण में वक्त रिश्वत लेन-देन रिश्वत राशि 1,000/- रूपये प्राप्त करने पर कैलाश चन्द सैन की जामा तलाशी में पहनी हुई पेन्ट की पीछे की जेब से 500/-रूपये वक्त मांग सत्यापन प्राप्त रिश्वत राशि एवं सह-आरोपी श्री सीताराम के पहनी जिंस पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब 1000/-रूपये वक्त रिश्वत लेन-देन प्राप्त रिश्वत राशि बरामद होने पर आरोपीगण श्री कैलाश चन्द्र सैन पुत्र स्व. श्री रामनिवास, जाति नाई, उम्र 38 वर्ष, निवासी गगवाना, पुलिस थाना रोल, तहसील व जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक, उप पंजीयक कार्यालय नागौर एवं श्री सीताराम पुत्र श्री रूघाराम, जाति जाट, उम्र 42 वर्ष, निवासी गगवाना, तहसील व जिला नागौर(दलाल) हाल व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, साडोकन का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भा.दं.सं. का जुर्म प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। अतः उपरोक्त आरोपीगण के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धाराओं में अभियोग पंजीबद्ध करनें हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक भ्रनिब्यूरो राज0 जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीया, (कल्पना सोलंकी) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर..... कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती कल्पना सोलंकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) में एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1- श्री कैलाश चन्द्र सैन पुत्र स्व. श्री रामनिवास, निवासी गगवाना, पुलिस थाना रोल, तहसील व जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक, उप पंजीयक कार्यालय नागौर एवं 2- श्री सीताराम पुत्र श्री रूघाराम, निवासी गगवाना, तहसील व जिला नागौर(दलाल) हाल व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, साडोकन जिला नागौर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री तेजाराम, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 422 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 637-41 दिनांक 26.06.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर। 2 महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग(राज.)अजमेर। 3 निदेशक, मा.शि., विभाग, बीकानेर। 4 उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर । 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नागौर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** TEJA RAM **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 26/06/2024 20:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	05/05/1985				
2	Male	05/05/1985				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)